

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- श्री अंगीलाल यादव आर.ए.एस

नम्बर मुकदमा :- 37/24

01. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार बीदासर।

.....वादी

बनाम

01. मांगीलाल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी देवाणी तहसील सुजानगढ़।

02. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बीदासर।

.....प्रतिवादीगण

## वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 01. परोकार राज वादी की ओर से।

02. श्री अरविन्द चौधरी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।


03. श्री सज्जन चौटिया एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक :- 30/10/2025

प्रस्तुत वाद-पत्र के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसिलदार बीदासर की ओर से एक वाद-पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा संख्या 2274/2273 तादादी 0.5871 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 2277/2273 रकबा 0.3946 हेक्टेयर किश्म बारानी दोयम कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है। उक्त भूमि का प्रतिवादीगण विना कानूनी प्रक्रिया पूरी किये प्लॉटिंग कर अकृषि उपयोग कर रहे हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित रूपान्तरण नियमों के तहत देय रूपान्तरण शुल्क से होने वाली आय से सरकार को वंचित कर दिया गया है। प्रकरण तहसील क्षेत्र बीदासर का होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त है। नगरपालिका के पैराफेरी क्षेत्र में होने के कारण नगरपालिका बीदासर को प्रतिवादी बनाया गया है। वाद पत्र दौ प्रतियों में प्रस्तुत है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त विना रूपान्तरण के अकृषि उपयोग में ली गई भूमि की खातेदारी समाप्त कर राजकीय दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। प्रतिवादीगण को पावन्द करावे कि आईन्दा विना विधिवत रूपान्तरण कराये भूमि का बेचान नहीं करे एवं न किसी अन्य से करावें। आदि आदि अंकित कर वाद-पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वाद-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री अरविन्द चौधरी एडवोकेट उपस्थित आए तथा प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री सज्जन चौटिया एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी/जवाब मय दस्तावेज सूची पेश किए, जो शामिल पत्रावली है। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के वकील ने निवेदन किया है कि इस वाद के दायर होने से पूर्व ही समस्त कानूनी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए नगरपालिका-मण्डल बीदासर में भूमि के नियमन हेतु प्रार्थना-पत्र पेश कर दिनांक 30.10.2023 को निर्धारित शुल्क राशि अग्रिम वएवज रसीद क्रमांक 22 जमा करवा दिया था। जिसकी सूचना प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी को रसीद की प्रतिलिपि देकर दे दी गई थी। उसके

  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)





श्रीमान जी ने मनगढ़ंत, बनावटी एवं झूठे तथ्यों का अभिकथन कर उपरोक्त वाद दायर कर भारी भूल कर यह वाद-पत्र न्यायालय श्रीमान के प्रस्तुत किया है। निवेदन किया कि नगरपालिका मण्डल बीदासर द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश प्रदान कर दिया है, जिसकी प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। निवेदन किया कि उपरोक्त वाद में उल्लेखित भू-उपयोग संबंधी उपरोक्त भूमि का सरकार के द्वारा निर्धारित रूपान्तरण नियमों के तहत देय रूपान्तरण शुल्क कानूनी प्रक्रिया द्वारा सरकार को अदा होकर रूपान्तरण होने के कारण वाद में आगे कोई कानूनी कार्यवाही शेष नहीं रह गई है। यानि वाद में उल्लेखित वादाधार का अब कोई आधार शेष नहीं रह गया है। वादी का वादाधार समाप्त हो चुका है। निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाते हुए वादी के वादगत प्रकरण को वाद में वर्णित भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु भू-रूपान्तरण हो जाने के कारण इसी स्टेज पर खारिज फरमाने के आदेश अता फरमावें। तथा प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना-पत्र धारा 151 सीपीसी के जवाब में वादी पैरोकार ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार वादगत खसरा भूमि को स्थानीय निकाय नगरपालिका बीदासर द्वारा नियमों के उपबंधों के अनुसार उक्त भूमि अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पुनर्ग्रहण करना उचित समझा गया है। अतः स्थानीय प्राधिकारी नगरपालिका बीदासर के पक्ष में सम्यक आवंटन होने के पश्चात् अप्रार्थीपक्ष द्वारा उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने वादगत खसरा संख्या 2274/2273 तादादी 0.5871 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 2277/2273 रकबा 0.3946 हेक्टेयर का स्थानीय निकाय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बीदासर के क्रमशः मामला संख्या 2242 दिनांक 08.10.2025 व मामला संख्या 2246 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा आदेशों की प्रतियां पेश की है। जिनके अवलोकन से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने वादगत भूमि का विधि अनुसार रूपान्तरण करवा लिया है तथा पैरोकार राज ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र 151 सीपीसी के जवाब में भी कोई आपत्ति नहीं होना दर्ज करवाया है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध उक्त खसरा खारिज की कार्यवाही को इसी स्तर पर खारिज किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

—आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वादी का वाद अस्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी के खसरा संख्या 2274/2273 तादादी 0.5871 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 2277/2273 रकबा 0.3946 हेक्टेयर भूमि वाके रोही करवा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरु के खसरा खारिज की कार्यवाही का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी हो।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)